राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः–ई–18/एम/वरिष्ठता/वलि/09/ दिनांकः–

समस्त संबंधित प्रशासनिक अधिकारी,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,
राजस्थान ।

विषयः– वरिष्ठ लिपिक की दिनांक 1.4.09 की स्थिति में अंतरिम वरिष्ठता सूची के क्रम में ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वरिष्ठ लिपिक की दिनांक 1.4.09 की स्थिति में अंतरिम वरिष्ठता सूची का एतदद्वारा प्रकाशन किया जा रहा है। यदि किसी कर्मचारी को इस वरिष्ठता सूची में कोई आपत्ति हो तो कर्मचारी से प्राप्त अभ्यावेदन अपनी टिप्पणी सहित भिजवायें, साथ ही किसी कर्मचारी की मृत्यु हो गई हो, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हो गई हो, नौकरी में नहीं हो, किसी प्रकार की विभागीय जांच लम्बित, विचाराधीन हो तो सूचना जारी होने की तिथि से 15 दिवस की अवधि में भिजवाये तथा अपने अधीन कार्यरत कर्मचारियों को वरिष्ठता सूची की प्रतिलिपि उपलब्ध करावें एवं कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा करें । निश्चित अवधि पश्चात प्राप्त होने वाले अभ्यावेदनों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

सलग्न :– वरिष्ठता सूची ।

अति0 निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाए,
राज0 जयपुर

क्रमांकः–ई–18/एम/वरिष्ठता/वलि/08/1567 दिनांकः– 4-12-09

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1–प्रभारी सर्वररूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि संलग्न वरिष्ठ लिपिक की अंतरिम वरिष्ठता सूची को विभाग की वैबसाईट पर प्रकाशित करें ।

अति0 निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाए,
राज0 जयपुर